

डिगरी व मुकदमे इक्टदाई
(ओ0 20 रू0 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम महवा जिला दौसा (राज0)
पीठासीन अधिकारी लाखनसिंह गुर्जर आर0ए0एस

मुकदमा नं0 98/2019

खुशमा उर्फ पुष्पा पुत्री मूल्या पत्नि घनश्याम जाति कोली निवासी गढी
सवाईराम जिला अलवर

- वादिया

बनाम

- 1.रामजीलाल पुत्र मांग्या जाति कोली निवासी विशाला तहसील महवा जिला दौसा।
- 2.नन्ददाम उर्फ बबली पुत्र नत्थ्या जाति कोली निवासी विशाला।
- 3.मुलड्डो बेवा नत्थ्या जाति कोली निवासी विशाला तह.महवा।
- 4.सरकार जरिये तहसीलदार,महवा जिला दौसा।

-प्रतिवादीगण

दावा वावत् घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज
दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरु मुझ लाखनसिंह गुर्जर आर0ए0एस0
.....व हाजिरी वकील वादीगण भंवरसिंह गुर्जर मिनजानिव एकपक्षीय मुद्दालय पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि

वादिया का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगणस डिक्री किया जाकर ग्राम विशाला तहसील महवा की
आराजी खसर नम्बर 191, 194, 195, 196, 203 कुल किता 5 कुल रकबा 1.3300 हैक्टर में
वादिया खुशमा उर्फ पुष्पा पत्नि घनश्याम जाति कोली को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है व वादिया इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टिया करवाने की अधिकारी
होंगी एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 का 1/3, प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/3 हिस्सा राजस्व
रिकार्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व प्रविष्टियों हजफ की जावे।



आज X मुबलिंग X खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व
शहर X को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी X
तक अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.05.2024 को जारी की गई **उपखण्ड अधिकारी**
दस्तखत **महवा जिला दौसा**

मुई	रूपया	पैसा	मुािलय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिंक			मुतफरिंक		
मीजान	4.00		मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)